खुलासा

15 लाख के आभूषण जब्त, चार गिरफ्तार

चांदी के जेवर कब्रिस्तान में छिपाये, गोल्ड रखा गिरवी

नवभारत, जबलपुर । गोहलपुर पुलिस ने दो शातिर चोरों के साथ चुराये हुये जेवर गिरवी रखने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है । जिनके कब्जे से चुराये हुये सोने चांदी के जेवर कीमती 15 लाख रुपये एवं घटना मे प्रयुक्त मोटर सायकिल जप्त की गई। चोरों ने चांदी के जेवर कब्रिस्तान में छिपा दिए थे जबकि गोल्ड को दोस्त को बेच दिया था जिसने जेवरों को गिरवी रख दिया था।

चोरी का खुलासा करते हुए अति पुलिस अधीक्षक क्राइम जितेन्द्र सिंह ने बताया कि गोहलपुर थाने में 1 जून को ऐहतेशाम अंसारी 28 वर्ष निवासी अमखेरा गोहलपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह एमआर की जॉब करता है। 28 मई की सुबह लगभग 10 बजे वह अपनी माँ नूरजहां, पिता गुलाम केबारिया के साथ दादा आजाद हुसैन के घर चारखम्बा गोहलपुर ईद का त्यौहार मनाने गये थे रात लगभग 8 बजे घर वापस आये तो देखा घर के बाहर का दरवाजा लगा हुआ था अंदर के कमरे का लॉक टूटा था अंदर रखी आलमारी का लॉकर टूटा हुआ था आलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात गायब थे। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर संदेही इब्राहिम अंसारी पिता नुरुद्दीन अंसारी 24 वर्ष निवासी हड्डी गोदाम हनुमानताल, मोहम्मद इजहार पिता मो. कल्लू 22 वर्ष निवासी सत्तार झिरिया पंचकुइया हनुमानताल को दबोचा। पूछताछ में उन्होंने चोरी करना स्वीकार किया। चोरी किए गए चांदी के जेवरात मंडी मदार

टेकरी कब्रिस्तान के अंदर खजूर वाले बाबा के पीछे पहाड़ी में छिपाना बताते हुये चोरी किए हुये सोने के जेवरात अपने दोस्त असगर अंसारी को बेचने के लिए देना बताए ।

पूछताछ में उगले राज

सीएसपी गोहलपुर मधुर पटेरिया ने बताया कि असगर अंसारी को अभिरक्षा में लेकर सघन पूछताछ करने पर असगर अंसारी ने अपने दोस्त यासीन अंसारी के जरिए बजाज गोल्ड लोन शाखा रद्दी चौकी में गिरवी रखना बताया। आरोपी यासीन अंसारी को तलाश कर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई जिसने बताया कि असगर अंसारी ने 31 मई को सोने के जेवर देकर बताया था कि इब्राहिम अंसारी और इजहार अंसारी ने 40 फिट रोड स्थित एक घर से जेवर चोरी किए है एवं यह जेवर बेचने के लिए दिए हैं । उक्त जेवरों को उसने बजाज गोल्ड लोन शाखा रद्दी चौकी में गिरवी रख दिया था एवं असगर ने उसे पहले भी ओर सोने के जेवरात दे कर बताया था इन जेवरों को कंचुल ने कहीं से चोरी कर के लाया है जिन्हे उसने अलग अलग समय पर बजाज गोल्ड लोन शाखा रद्दी चौकी में गिरवी रखा है।

इजहार पर 10 तो इब्राहिम पर 5 अपराध है दर्ज

टीआई रीतेश पांडेय ने बताया कि आरोपी यासीन अंसारी के द्वारा गिरवी रखे गए सोने के जेवरों को बजाज गोल्ड लोन शाखा रद्दी चौकी से जप्त किया गया एवं दोनों नकबजनो की निशादेही पर मदार टेकरी कब्रस्तान में छिपाकर रखे चांदी के जेवरो को जप्त करते हुये चारों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । पकडे गये आरोपी इब्राहिम अंसारी के विरूद्ध पूर्व में मारपीट, चोरी, बलात्कार जैसे 5 गंभीर एवं आरोपी मो. इजहार के विरूद्ध पूर्व से चोरी, मारपीट के कुल 10 अपराध दर्ज है ।

कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद डिलीवरी बॉय पर एफआईआर दर्ज

नवभारत, जबलपुर। तिलवारा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने चलती गाड़ी से डिलीवरी बॉय का कीमती मोबाइल छीना और रफूचक्कर हो गए थे। कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।विदित हो कि त्रिपुरी चौक कोरी मोहल्ला निवासी अतुल कोरी (31) जोमैटो कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है। 30 मई की रात वह बिट्टू ढाबा से पार्सल लेकर डिलीवरी देने शहर की तरफ जा रहा था। गाड़ी में पेट्रोल कम होने के कारण वह तिलवारा जोधपुर पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ा। जैसे ही वह रमनगरा वाटर प्लांट के पास सर्विस रोड पर पहुँचा, पीछे से दो गाड़ियों पर सवार चार लड़कों ने उसे घेर लिया था। आगे एक बिना नंबर की स्कूटी पर एक लड़का चल रहा था। उसके ठीक पीछे एक बिना नंबर की काले रंग की मोटरसाइकिल पर तीन लड़के बैठे हुए थे। जब तक अतुल कुछ समझ पाता, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे एक लड़के ने झपट्टा मारकर अतुल के पास रखा मोबाइल फोन छीन लिया। वारदात के बाद आरोपी तेजी से भाग निकले।??घटना के बाद पीड़ित ने तिलवारा थाने पहुँचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई।

आयु सीमा में छूट की मांग की नामंजूर

मप्र लोकसेवा आयोग के पात्रता मानदंड वैध ठहराते हुए हाईकोर्ट ने याचिका की निरस्त

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस देवनारायण मिश्रा की ग्रीष्मावकाश कालीन एकलपीठ ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक और डिग्री कालेजों में सेवाएं देने वाले अतिथि विद्वान दो पृथक वर्ग हैं। जिस कारण दोनों को समकक्ष मानकर भर्ती प्रक्रियाओं में एक जैसी सुविधाएं या छूट देने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को वैध पाते हुए न्यायालय ने याचिका निरस्त कर दीं।

याचिकाकर्ता शहडोल निवासी उच्च माध्यमिक शिक्षक डॉ. अर्पणा पाठक सहित अन्य की ओर से यह मामले दायर किया गया था। जिसमें दलील दी गई कि बताया कि 30 दिसंबर 2025 को एमपी पीएससी ने माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञापन में डिग्री कालेजों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को आयुसीमा में विशेष छूट प्रदान की गई थी। आयुसीमा में छूट का आधार अध्यापन अनुभव है और वे स्वयं भी लंबे समय से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। अतएव, उन्हें भी वही लाभ मिलना चाहिए जो अतिथि विद्वानों को दिया गया है। एमपी पीएएसी महज इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि एक वर्ग उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को पढ़ाता है, जबकि दूसरा वर्ग डिग्री कालेजों के छात्रों को शिक्षण देता है। प्रविधान भेदभावपूर्ण है, अतः संबंधित विज्ञापन निरस्त किया जाए। वहीं मामले में राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दोनों श्रेणियों की नियुक्ति, कार्यप्रणाली और सेवा परिस्थितियां अलग हैं। अतिथि विद्वानों को दी गई छूट एक विशेष नीति के तहत प्रदान की गई है और इसे विद्यालय शिक्षकों तक विस्तारित नहीं किया जा सकता।

हुस्न के जाल में फंसा व्यापारी, ब्लैकमेल कर ऐंठे लाखों

महिला ने शादी डॉट कॉम के जरिए फंसाया, धमकाया एफआईआर दर्ज

नवभारत,जबलपुर । वैवाहिक वेबसाइट के जरिए दोस्ती कर महिला ने एक व्यापारी को हुस्न के जाल में फंसाया और ब्लैकमेल शुरू कर दी । बलात्कार के झूठे केस में फंसाने के साथ धमकी देकर रंगदारी वसूली । आरोपी महिला पीड़ित से पहले ही लाखों रुपये ऐंठ चुकी है और अब नया मकान बनाने के लिए 5 लाख की और मांग कर रही है जिससे तंग आकर पीड़ित ने रांझी थाने में आरोपिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

पुलिस के मुताबिक रांझी के नरसिंह नगर निवासी मनमीत सिंह गुजराल गोरखपुर इलाके में गिफ्ट गैलरी की दुकान चलाता हैं मनमीत

ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2020 में शादी डॉट कॉम के माध्यम से उनकी पहचान पिंकी टंडन नाम की महिला से हुई थी। पहचान होने के बाद वर्ष 2021 में पिंकी टंडन ने मनमीत पर बलात्कार के आरोप लगाते हुएप्रकरण दर्ज करा दिए । इसके बाद केस वापस लेने और राजीनामा करने के नाम पर महिला ने पीड़ित से ब्लैकमेल करके लाखों रुपये वसूल लिए।

मैं महिला हूं, कानून मेरी सुनेगा कहते हुए की पांच लाख की डिमांड

पीड़ित का आरोप है कि महिला पिछले कई दिनों से उसे फोन कर परेशान कर रही है। 27 मई की सुबह करीब 10:30 बजे पिंकी जबरन मनमीत के घर घुसी और रुपयों की मांग क मना करने पर हंगामा कर चली गई। उसी दिन शाम 4:37 बजे महिला ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि मैं अपने मकान में दूसरी मंजिल बना रही हूं, मुझे 5 लाख अभी भिजवाओ। मैं एक महिला हूं, कानून मेरी ही सुनेगा। महिला की लगातार मिल रही धमकियों और झूठे केस में दोबारा फंसने के डर से पीड़ित मनमीत सिंह मानसिक रूप से टूट चुका था ।आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर रांझी थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस ने पीड़ित के बयानों के आधार पर आरोपी महिला पिंकी टंडन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

मूक-बधिर दंपत्ति के घर पथराव, खिड़कियों के कांच टूटे, स्कूटी क्षतिग्रस्त

नवभारत, जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत कुदवारी में एक मूक-बधिर युवक द्वारा शराब के लिए 500 न देने पर मूक-बधिर दंपत्ति के घर पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे खिड़कियों के कांच टूट गए और बाहर खड़ी स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि कुदवारी अधारताल निवासी 64 वर्षीय सीमा लालवानी घर पर अपने मूक-बधिर बेटे तुषार लालवानी और बहू चिंकी साहू के साथ रहती हैं। पिछले कुछ समय से पास के ही अहमद नगर का रहने वाला गुलाम गौस जो स्वयं मूक-बधिर है उनके घर के बाहर आकर उनके बेटे-बहू को परेशान करता था और अक्सर विवाद खड़ा करता था। बीती रात करीब 8 बजे गुलाम गौस अचानक सीमा लालवानी के घर के बाहर पहुंचा। उसने मूक-बधिर बेटे तुषार को देखते ही इशारों-इशारों में शराब पीने के लिए 500 रुपये की मांग की।

सुरक्षा संस्थानों में चार्जमैन पदोन्नति का रास्ता साफ

लंबे समय से कर्मचारी कर रहे थे आदेश का इंतजार

कर्मचारियों में खुशी की लहर

नवभारत,जबलपुर। तीन वर्षों से कानूनी पेच में फंसी चार्जमैन (टी) पदोन्नति के मामले में डीओ (सीएडंएस) कोलकाता द्वारा आदेश कर शीघ्र पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए समस्त डीपीएसयू को आदेश किया है। विदित हो कि अभी तक पुराने एसआरओ के तहत चार्जमैन की पदोन्नति की जाती थी, जिससे उच्च कुशल ग्रेड 1 तथा मास्टर क्राफ्टमैन से चार्जमैन की पदोन्नति की जाती थी। इसे कुछ लोगों ने इलाहाबाद कैट में चुनौती दी थी। इसी बीच 13 जून 2024 को चार्जमैन पदोन्नति के लिए पुराने एसआरओ को

परिवर्तित कर नया एसआरओ 23 को लागू किया, लेकिन इस पर भी कुछ कर्मचारी संतुष्ट नहीं थे।

उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर हाईकोर्ट ने 12 जून 2024 के पहले पुराने एसआरओ के तहत चार्जमैन की पदोन्नति एवं 13 जून 2024 के बाद नए एसआरओ 23 का पालन करने को कहा, लेकिन इस बीच 2022 में हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि अगर कोई नया एसआरओ बनाया जाता है, तो पुराना एसआरओ स्वतः निरस्त माना जाएगा।

इस निर्णय के बाद डीओ द्वारा डीओपीटी को इस पर निर्णय देने को कहा, लेकिन डीओपी एंड टी ने इस मामले को न्याय मंत्रालय को भेजा था, जिसके आदेश के बाद आज डीओ कोलकाता ने आदेश कर प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा है।

कर्मचारियों में उत्साह

कर्मचारी नेता अर्नबदास गुप्ता, उत्तम विश्वास ने बताया कि आदेश के बाद आज कर्मचारियों की बीच हर्ष का माहौल है क्योंकि विगत 3 वर्षों से चार्जमैन पदोन्नति न होने के चलते अन्य सभी पदोन्नति रूकी हुई थी। अब एक साथ चार्जमैन, एमसीएम, एचसीआई, एचएस 2 की पदोन्नति काफी संख्या में होगी। जानकारी के अनुसार एआईडीईएफ ने नेशनल काउंसिल जेसीएम तथा जेसीएम 3 में इस मुद्दों को मजबूती के साथ उठाया था। इधर, आईएनडीडब्ल्यूएफ ने भी चार्जमैन पदोन्नति का रास्ता साफ होने पर खुशी जाहिर की है। इंटक आंनद शर्मा, राकेश रंजन, अखिलेश पटेल, अनिल गुप्ता आदि ने बताया कि फेडरेशन द्वारा निरंतर किए गए प्रयासों व पत्राचार के चलते आदेश जारी हो सके हैं।

एक नजर में

विद्युत पेन्शनर्स एवं कर्मचारियों में भारी रोष

नवभारत,जबलपुर। विद्युत पेन्शनर्स एवं कर्मचारियों में भारी रोष इन दिनों नजर आ रहा है। म.प्र. पावर विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन के अध्यक्ष आर.एस सक्सेना ने कहा है कि मैनेजमेंट कम्पनी मनमानी एवं भेदभाव पूर्ण रवैया अपना रही है। एक वाहन क्लीनर भी रामचन्द्र राउत छिन्दवाड़ा, उदित नारायण सिंह 30 वर्षों से अपनी सेवाएँ कम्पनी को दे रहे है। परन्तु आज दिनांक तक उन्हें क्लीनर से वाहन चालक नहीं बनाया गया एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश का परिपालन 60 दिन के भीतर करना था। किन्तु कार्यपालक निर्देशक मानव एवं संसाधन एवं प्रशासन ने उस पर अमल करना उचित नहीं समझा ।इस बात को लेकर आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि पुनः 7 जून को विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन की बैठक विजय नगर में आयोजित की गई है। ये जानकारी दिनेश चौधरी, आर.एस. सक्सेना, विजय चौकसे, मोहन अग्रवाल द्वारा दी गई है। बैठक में सर्वश्री अब्दुल रहमान, लाल सोनी, राजेन्द्र सोंधिया, राजकुमार काछी सहित अन्य मौजूद रहे।

ज्ञान गंगा कॉलेज में एबीवीपी का प्रदर्शन

नवभारत, जबलपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् जबलपुर महानगर द्वारा ज्ञान गंगा कॉलेज में छात्रहित संबंधी समस्याओं व अनियमितताओं को लेकर परिसर में प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने प्राचार्या को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र निराकरण की मांग की। परिषद का आरोप है कि लंबे समय से बनी समस्याओं को संज्ञान में लाने के बावजूद समाधान नहीं हुआ, जिससे विद्यार्थियों को शैक्षणिक व प्रशासनिक कठिनाइयाँ हो रही हैं। इस दौरान अभाविप ने अवगत कराया कि परिसर में नशीले पदार्थों का वितरण व सेवन लगातार होने से कॉलेज की छवि धूमिल हो रही है और भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेट फीस के नाम पर अधिक शुल्क वसूली जा रही है। प्राचार्या की गलती से छात्रा का फॉर्म फॉरवर्ड न होने के कारण वह परीक्षा से वंचित रह गई। यहाँ विद्यार्थियों के भविष्य से ज्यादा शिक्षा का व्यापारीकरण महत्वपूर्ण हो चुका है। महानगर मंत्री आर्यन पुंज ने कहा कि शीघ्र कार्यवाही न होने पर व्यापक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। प्राचार्या ने ज्ञापन लेकर त्वरित निराकरण का आश्वासन दिया। इस अवसर पर आर्यन पुंज, ऐश्वर्या सोनकर, शोभित मिश्रा, अक्षत ताम्रकार, तनिष्क पांडे, प्रफुल तिवारी, भास्कर पटेल, दिव्यांक पचौरी, समर्थ बघेल, आशुतोष पटेल, अंशुमान पटेल, अमन तिवारी, सहित अन्य छात्र मौजूद रहे।

बंद कमरे में मिला महिला का सड़ा-गला शव

गले में बंधा था दुपट्टा, पति फरार हत्या, आत्महत्या एंगल पर तफ्तीश

नवभारत, जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत न्यू कंचनपुर में एक किराए के मकान से 36 वर्षीय महिला का डीकंपोज ?शव बरामद हुआ है। मृतका के गले में दुपट्टा बंधा था, जिसका दूसरा सिरा पंखे से लटका मिला। घटना के बाद से ही महिला का पति घर से गायब है, जिससे हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल पर संदेह गहरा गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।

अधारताल थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार के अनुसार, मयंक सिंह अपनी पत्नी नेहा सिंह (36) के साथ पिछले दो साल से न्यू कंचनपुर में किराए से रह रहा था। मयंक घर के पीछे ही स्थित एक चॉकलेट फैक्ट्री में काम करता था, जबकि नेहा एक प्राइवेट नौकरी करती थी। शुक्रवार शाम करीब चार बजे मकान मालिक को उनके कमरे से तेज दुर्गंध आई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही अधारताल थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एफएसएल, डॉग स्क्वाड और

फिंगर प्रिंट की टीम भी मौके पर पहुंची और अहम साक्ष्य जुटाए।

बाहर से बंद था दरवाजा, अंदर मिला शव

सूचना पर जब अधारताल पुलिस मौके पर पहुंची, तो मकान का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद मिला। पुलिस ने जब दरवाजा खुलवाया तो अंदर का नजारा खौफनाक था। किचन वाले कमरे के अंदर नेहा सिंह का शव बेहद खराब स्थिति में पड़ा था। शव पूरी तरह डीकंपोज हो चुका था, जिससे अनुमान है कि मौत दो से तीन दिन पहले हुई होगी।

फंदे से लटका मिला दुपट्टा, पति पर गहराया शक

पुलिस को मृतका के गले में एक दुपट्टा बंधा हुआ मिला। उस दुपट्टे का दूसरा छोर ऊपर छत के पंखे से लटका हुआ था। दरवाजा बाहर से बंद होने और पत्नी का शव अंदर मिलने के बाद से ही पति मयंक सिंह फरार है। इस वजह से शक की सुई सीधे पति पर घूम रही है।

पहले पति की मौत, दिल्ली-इंदौर में करती थी काम

सूत्रों के मुताबिक मूलतः कालीमठ निवासी नेहा सिंह के पति की मौत हो चुकी है। उसका आठ साल का बेटा था। पिछले दो साल पूर्व उसने न्यू कंचनपुर निवासी मयंक सिंह से विवाह किया था। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि नेहा दिल्ली और इंदौर में काम करती थी। दोनों सदानंद ठाकुर के मकान में किराए से रहते थे। बीच बीच में नेहा जबलपुर आती थी।

रेल पटरियों तरफ जाता दिखा पति

शुक्रवार को मयंक घर से निकला था। बेटे को अपनी शोभापुर में रहने वाली बहन के घर छोड़ा था इसके बाद वह रेल पटरियों की तरफ जाता नजर आया, लेकिन फिर कहां गया, किसी ने उसे नहीं देखा। इधर शाम के वक्त कमरे से बदबू आई, तो मामला पुलिस तक पहुंच गया । संभावना यह भी जाहिर की जा रही है कि पत्नी की मौत के बाद दहशत में आए पति ने मामला छिपाने के लिए दो दिन तक बात दबाए रखी और जब बदबू आई, तो वह भाग निकला।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज

थाना प्रभारी ने बताया कि मामला बेहद संदिग्ध है। पुलिस हत्या और आत्महत्या, दोनों ही पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी, जिसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की एक टीम फरार पति की तलाश में जुट गई है।

लोन दिलाने के नाम पर 7 लाख की ठगी

नवभारत, जबलपुर । जीरो परसेंट ब्याज पर दस लख रूपए का लोन दिलाने के नाम पर रसोइये के साथ 7.2 लाख रूपए की ठगी कर दी गई। गोराबाजार पुलिस ने रिपोर्ट पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर पतासाजी शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार संजय खेर 47 वर्ष निवासी सीता पहाड बजरिया गोराबाजार का अफसर मेस सीएमएम में खाना बनाने का काम करता है। उसके मोबाईल नम्बर पर नेहा शर्मा नामक महिला का फोन जिसने पॉलिसी के बारे में बताया कि अगर आप एक साल 98550 रुपये की पॉलिसी लेते है तो आपको 0 परशेंट पर 10 लाख रुपये का बजाज कम्पनी से लोन मिल जायेगा फिर नेहा शर्मा ने उसकी बात मोबाईल पर एक व्यक्ति से कराई जिन्होंने अपना नाम विवेक अग्रवाल बताया और इन्होने भी बताया कि पॉलिसी संबंधित जानकारी दी। झांसे में आकर संजय ने आधार और पैन कार्ड व्हाटसएप पर शेयर कर दिए। नेहा शर्मा मोबाईल द्वारा कई बार बैंक बेलेंश व रिन्यू कराने के लिये व जीएसटी के लिये लगभग कुल 7 लाख 2 हजार 54 रूपये से ज्यादा रूपये आनलाईन गूगल पे आईडी एसबीआई बैंक ब्रांच कॉलेज ओफ मटेरियल मेनेजमेंट सीता पहाड एकाउण्ट के माध्यम से दे चुका है लेकिन उसे लोन नहीं मिला । लोन दिलानें क नाम पर उसके साथ 7 लाख 2 हजार 54 रुपये की ठगी हुई है ।